19-8-2019 वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन बाद वादी पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया डिक्री जारी की जाकर निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
[illegible] कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 192/2019

1 विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री इन्द्रजीत जाति बिश्नोई निवासी 18 एच.एमएच. ढ़ाणी हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 इन्द्रजीत पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई निवासी 18.एच.एम.एच. ढ़ाणी हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 अनुज कुमार पुत्र श्री इन्द्रजीत जाति बिश्नोई निवासी 18 एच.एमएच. ढ़ाणी हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री प्रदीप पारिक अधिवक्ता — वादी
2. श्री बनवारी लाल पारिक अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2
3. राज पैरोकार — प्रतिवादी संख्या 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 19.08.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है। कि चक 2 एस.एन.एम. के खाता संख्या 12/11 के पत्थर नम्बर 123/266 (1) किला नम्बर 1 ता 10, 14, 15 की 3.036 हैक्टर तथा चक 18 एच.एम.एच. के खाता संख्या 18/18 पत्थर नम्बर 124/266 (1) किला नम्बर 1 ता 14, 17 ता 20 की 4.554 हैक्टर मय गैर मुमकिन वादी के दादा बृजलाल से भूमि विरासतन एवम् विरासतन भूमि की आय से अर्जित की हुई है। इस प्रकार वादीगण के पिता के नाम से कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड खातेदारी है जिसकी प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादी संख्या 1 की उपरोत भूमि में से नीचे वर्णित भूमि वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त में है प्रतिवादी संख्या 1 नें आज से काफी अर्सा पूर्व आपसी घरा घरू बंटवारा कर लिया व इसी बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादी को घराघरू बंटवारे में चक 2 एस.एन.एम की 3.036 हैक्टर में से 0.506 हैक्टर तथा चक 18 एच.एम.एच. की 4.554 हैक्टर में से 2.024 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 2 को चक 2 एस.एन.एम की 3.036 हैक्टर में से 1.518 हैक्टर तथा चक 18 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी नें अपनें हिस्सा में आई कृषि भूमि को मिट्टी उठाकर कराहा लगाकर समतल किया है। एवम् अच्छी खद व उर्वरक डालकर उपजाऊ बनाया है। जब वादी नें बंटवारे में अपनें हिस्सा में आई भूमि घराघरू बंटवारा एवम् कब्जा के अनुसार नाम लगवानें के लिये प्रतिवादी संख्या 1 को कहा तो पहले तो वे टाल मटोल करते रहे और आखिर दिनांक 28.6.2019 को इन्कार हो गये यही वाद कारण है।

वादी को वाद पत्र के पैरा 5 के अनुसार वाद कारण हासिल है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. वाद पत्र की पैरा 4 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व वादी के नाम रकमराज अलग कायम किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

लगातार 2

Web Copy : Not Official

Scanned by CamScanner

2. अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण को दिलवाना उचित समझे दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 31.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि मिकरान का लोक अदालत की भावना से प्ररित होकर राजीनामा हो गया है वादी के दादा से भूमि विरास्त एवम् कुछ विरास्त भूमि की आय से चक 2 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 12/11 के पत्थर नम्बर 123/266 (1) किला नम्बर 1 ता 10, 14, 15 तादादी 3.036 हैक्टर व चक 18 एच.एम.एच. के खाता संख्या 18/18 पत्थर नम्बर 124/266 (1) किला नम्बर 1 ता 14, 17 ता 20 तादादी 4.554 हैक्टर कुल तादादी 7.590 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

वादी विजेन्द्र कुमार ने इस आशय की घोषणा चाही है, कि विजेन्द्र कुमार को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 2 एस.एन.एम. के खाता संख्या 12/11 में तादादी 3.036 हैक्टर में से 0.506 हैक्टर चक 18 एच.एम.एच. के खाता संख्या 18/18 में कुल तादादी 4.554 हैक्टर में से 2.024 हैक्टर कुल तादादी 2.530 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 अनुज कुमार को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 2 एस.एन.एम. के खाता संख्या 12/11 में तादादी 3.036 हैक्टर में से 1.518 हैक्टर चक 18 एच.एम.एच. के खाता संख्या 18/18 में कुल तादादी 4.554 हैक्टर में से 1.012 हैक्टर कुल तादादी 2.530 हैक्टर के खातेदारी दिये जानें में सहमति प्रकट की है। तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 2 एस.एन.एम. के खाता संख्या 12/11 में 1.012 हैक्टर व चक 18 एच.एम.एच. के खाता संख्या 18/18 में 1.518 हैक्टर कुल 2.530 हैक्टर यथावत रहेगी। पक्षकारान मुताबिक राजीनामा उक्त वाद पत्र डिक्री किये जानें में सहमत है।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से राज पैराकार द्वारा जबाब स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को ध्यान में रखते हुए याचित अनुतोष प्रदान किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें राजीनमा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

लगातार 3

Scanned by CamScanner

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धडी या किसी के प्रभाव मे न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्रजीत के नाम चक 2 एस. एन.एम. की 3.036 हैक्टर व चक 18 एच.एम.एच. की 4.554 हैक्टर भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वादी विजेन्द्र कुमार को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 2 एस.एन.एम. के खाता संख्या 12/11 में तादादी 3.036 हैक्टर में से 0.506 हैक्टर व चक 18 एच.एम.एच. के खाता संख्या 18/18 नें कुल तादादी 4.554 हैक्टर में से 2.024 हैक्टर कुल तादादी 2.530 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 अनुज कुमार को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 2 एस.एन.एम. के खाता संख्या 12/11 में तादादी 3.036 हैक्टर में से 1.518 हैक्टर चक 18 एच.एम.एच. के खाता संख्या 18/18 में कुल तादादी 4.554 हैक्टर में से 1.012 हैक्टर कुल तादादी 2.530 हैक्टर भूगि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष भूमि प्रतिवादी संख्या एक के नाम यथावत रहेगी।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 19.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 192/2019

1 विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री इन्द्रजीत जाति बिश्नोई निवासी 18 एच.एमएच. ढ़ाणी हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 इन्द्रजीत पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई निवासी 18.एच.एम.एच. ढ़ाणी हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 अनुज कुमार पुत्र श्री इन्द्रजीत जाति बिश्नोई निवासी 18 एच.एमएच. ढ़ाणी हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 19.08.2019

वादी की और से श्री प्रदीप पारिक अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से श्री बनवारी लाल पारिक अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 की और से राजपैराकार इस वाद में आज दिनांक 19.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वादी विजेन्द्र कुमार को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 2 एस.एन.एम. के खाता संख्या 12/11 में तादादी 3.036 हैक्टर में से 0.506 हैक्टर व चक 18 एच.एम.एच. के खाता संख्या 18/18 में कुल तादादी 4.554 हैक्टर में से 2.024 हैक्टर कुल तादादी 2.530 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 अनुज कुमार को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 2 एस.एन.एम. के खाता संख्या 12/11 में तादादी 3.036 हैक्टर में से 1.518 हैक्टर चक 18 एच.एम.एच. के खाता संख्या 18/18 में कुल तादादी 4.554 हैक्टर में से 1.012 हैक्टर कुल तादादी 2.530 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष भूमि प्रतिवादी संख्या एक के नाम यथावत रहेगी।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 15:16:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: